न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 21/2023

जी.सी.एम.एस. : 2023/95

अपीलान्टगण

1. मृत जस्साराम पुत्र पुखाराम सीरवी के कायम मुकाम
   - 1/1 अशोक पुत्र जस्साराम
   - 1/2 विक्रम पुत्र जस्साराम
   - 1/3 रेखा पुत्री जस्साराम
   - 1/4 सगलीदेवी पत्नी जस्साराम
2. दीपाराम पुत्र पुखाराम
3. नेमाराम पुत्र पुखाराम
4. नाजीदेवी पुत्री पुखाराम
5. भंवरीदेवी पुत्री पुखाराम
6. कमलीदेवी पुत्री पुखाराम
7. मिश्रीदेवी पुत्री पुखाराम
8. सनकीदेवी पुत्री पुखाराम
9. कालीदेवी पुत्री पुखाराम
10. सूजाराम पुत्र राईंगराम
11. जीताराम पुत्र राईंगराम
12. तीजादेवी पुत्री राईंगराम
13. मांगीदेवी पुत्री राईंगराम
14. पोकरराम पुत्र दौलाराम
15. दुर्गाराम पुत्र दौलाराम
16. रूपाराम पुत्र दौलाराम
17. चौथाराम पुत्र दौलाराम
18. मंगलीदेवी पुत्री दौलाराम
19. सूजाराम पुत्र पुखाराम
20. मगलीदेवी पुत्री पुखाराम
21. तीजादेवी पुत्री पुखाराम
22. मोतीलाल पुत्र भूराराम
23. केवलराम पुत्र भूराराम
24. लखाराम पुत्र भूराराम
25. नारायणलाल पुत्र पोकरराम
26. बादरराम पुत्र पोकरराम

बनाम

रेस्पोडेन्टगण :–

1. मृत घीसाराम पुत्र नवलाराम के कायम मुकाम
   - 1/1 अमरचंद पुत्र घीसाराम
   - 1/2 भोलाराम पुत्र घीसाराम
   - 1/3 टीपोडी देवी पुत्री घीसाराम
   - 1/4 पानीदेवी पुत्री घीसाराम
   - 1/5 नोजीदेवी पुत्री घीसाराम
   - 1/6 सुकिया देवी पुत्री घीसाराम
   - 1/7 देवली बाई पत्नी घीसाराम
2. दाकूदेवी पत्नी थानाराम
3. नाजूदेवी पुत्री थानाराम
4. सुखीयादेवी पुत्री थानाराम
5. मृत मांगीलाल पुत्र थानाराम के कायम मुकाम
   - 5/1 वेनाराम पुत्र मांगीलाल
   - 5/2 विद्या पुत्री मांगीलाल
   - 5/3 पुसीया पुत्री मांगीलाल
6. शेषाराम पुत्र पुकाराम

   समस्त जातिगण सीरवी निवासीगण बेरा रामसागर, गांव कंटालिया तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली
7. अधिशाषी अभियंता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सोजत सिटी जिला पाली
8. सहायक अभियंता जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सोजत सिटी जिला पाली
9. तहसीलदार, मारवाड जंक्शन
10. सहायक कलक्टर, मारवाड जंक्शन जिला पाली

[Seal: न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)]

[Signature]

अति. जिला कलक्टर, पाली

27. भुण्डाराम उर्फ दलपतराज पुत्र मुगनाराम
28. दुर्गा पुत्री मुगनाराम
29. सूरता पुत्री मुगनाराम
30. केवलराम पुत्र मुगनाराम
31. घीसीदेवी पत्नी डायाराम
32. नारायणलाल पुत्र डायाराम
33. मंगलाराम पुत्र डायाराम
34. सुखडी देवी पुत्री डायाराम
35. तीजादेवी पुत्री डायाराम
36. गवरीदेवी पुत्री डायाराम
37. मृत चौथाराम पुत्र लुम्बाराम के कायम मुकाम
    37/1 अमित पुत्र चौथाराम
    37/2 जोगाराम पुत्र चौथाराम
    37/3 चैनाराम पुत्र चौथाराम
    37/4 कुकीदेवी पुत्री चौथाराम
    37/5 सायरीदेवी पुत्री चौथाराम
    37/6 सीतादेवी पुत्री चौथाराम
    37/7 डगरीदेवी पत्नी चौथाराम
38. चैनीबाई पत्नी लालाराम
39. धापूदेवी पुत्री लालाराम
40. भैराराम पत्रु लालाराम
41. वेनाराम पुत्र लालाराम
42. पेमाराम पुत्र लालाराम
43. मृत घीसीबाई पुत्री लुम्बाराम पत्नी कुशाल के कायम मुकाम
    43/1 रूपाराम पुत्र कुशाल एवं घीसीबाई
    43/2 गुणाराम पुत्र कुशाल एवं घीसीबाई
    43/3 तारादेवी पुत्री कुशाल एवं घीसीबाई
44. भंवरीदेवी पत्नी सोनाराम
45. दीपाराम पुत्र रूगाराम
46. जीताराम पुत्र मोतीराम
47. देवाराम पुत्र कानाराम

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर, पाली

48. पोकरराम पुत्र कानाराम
49. लखाराम पुत्र पुकाराम
50. शेषाराम पुत्र पुकाराम
51. हीरालाल पुत्र चोलाराम
52. खरताराम पुत्र थानाराम
53. चुन्नीलाल पुत्र भोमाराम
54. घेवरराम पुत्र भोमाराम
55. खींवाराम पुत्र जोधाराम
56. कूनाई पत्नी तुलसाराम
57. जीवाराम पुत्र तुलसाराम
58. गेनाराम पुत्र तुलसाराम
59. भैराराम पुत्र तुलसाराम
60. सायरी पुत्री तुलसाराम
61. छगनीदेवी पुत्री तुलसाराम
62. जमनीदेवी पत्नी केसाराम
63. टोयाराम पुत्र केसाराम
64. मिश्रीलाल पुत्र डायाराम
65. सुरेश पुत्र कुकाराम
66. विमला पुत्री कुकाराम
67. मंजू पुत्री कुकाराम
68. हरिश पुत्र कुकाराम
69. मीरादेवी पुत्री डायाराम
70. चेनाराम पुत्र पूनाराम
71. केवलराम पुत्र पूनाराम
72. भीखीदेवी पुत्री पूनाराम
73. झमकूबाई पत्नी टोयाराम
74. मगीया पुत्र चेलाराम
75. त्रिलोकराम पुत्र मगनाराम
76. भुण्डाराम पुत्र मगनाराम
77. अचलाराम पुत्र मगनाराम
78. जसाराम पुत्र धनाराम
79. भंवरीदेवी पत्नी जोगाराम
80. मेनादेवी पुत्री जोगाराम
81. मंजूदेवी पुत्री जोगाराम
82. ज्योति पुत्री जोगाराम
83. भोलाराम पुत्र लुम्बाराम
84. घीसाराम पुत्र पाबूराम

अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर, पाली

85. नानकराम पुत्र मगाराम
86. भुण्डीदेवी पुत्री मगाराम
87. भूरीदेवी पुत्री मगाराम
88. उदाराम पुत्र गमरानारम
89. खींवाराम दत्तक पुत्र पुखाराम

समस्त जातिगण सीरवी निवासीगण बेरा रामसागर, गांव कंटालिया तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. अपीलाण्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोडा।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 1/1 से 1/7 ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी।
3. रेस्पोडेण्ट संख्या 9 व 10 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना सरकारी पैरोकार।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 21.6.2024

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील उनके अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 3158 दिनांक 31.10.2018 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 8 बावजूद सम्मन तामिली वक्त बहस अनुपस्थित होने से अधिवक्ता अपीलाण्टगण एवं अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1/1 से 1/7 तथा सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्टगण ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अन्य रेस्पोडेण्ट व अपीलार्थीगण के विरूद्ध ग्राम कंटालिया में स्थित खसरा नम्बर 126, 136 से 145, 147 व 148 की भूमि का विभाजन, घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञात्मक आज्ञा हैंतु न्यायालय सहायक कलक्टर मारवाड जंक्शन में एक वाद 17/2014 घीसाराम बनाम अधिशाषी अभियंता व अन्य प्रस्तुत किया, जिसमें निर्णय व डिक्री दिनांक 26.10.2018 को पारित हुआ। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 26.10.2018 के विरूद्ध राजस्व अपील संख्या 96/2018 प्यारीदेवी व अन्य बनाम घीसाराम व अन्य प्रस्तुत की गयी जिसमें पारित निर्णय दिनांक 17.01.2019 के द्वारा उक्त अपील का स्वीकार की जाकर सहायक कलक्टर मारवाड जंक्शन के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.10.

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर, पाली

2018 को अपास्त कर इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वे उनके द्वारा निर्णय में दिये गये ऑब्जरवेशन के आधार पर प्रकरण में जांच कर पक्षकारान को समुचित साक्ष्य, सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण में मृतक खातेदारो के विधिक वारिसान को पक्षकारान के रूप में संयोजित कर विधिक परीक्षण कर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.01.2019 के विरूद्ध घीसाराम ने न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील संख्या 534/2019 घीसाराम बनाम प्यारीदेवी व अन्य प्रस्तुत की जिसे माननीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 12.02.2019 को एडमिशन स्तर पर ही खारिज कर दी। उक्त निर्णय दिनांक 12.02.2019 के विरूद्ध घीसाराम ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी.सिविल रिट पीटिशन नम्बर 4178/2019 घीसाराम बनाम प्यारीदेवी व अन्य प्रस्तुत की, जिसे माननीय न्यायालय ने खारिज कर सहायक कलक्टर मारवाड जंक्शन को 1 वर्ष के भीतर वाद का निस्तारण हेतु निर्देशित किया। सहायक कलक्टर मारवाड जंक्शन द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु दिनांक 29.10.2018 को पत्र जारी होता है और उसी दिन पटवारी रिपोर्ट कर देता है तथा दूसरे दिन को आर.आई भी रिपोर्ट कर देता है एवं उसके एक दिन बाद दिनांक 31.10.2018 को जैर नामान्तरकरण तहसीलदार द्वारा स्वीकृत होकर डिक्री अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवा दिया जाता है। उक्त निर्णय को निरस्त किये जाने के उपरान्त अपीलार्थीगण ने सहायक कलक्टर मारवाड जंक्शन के समक्ष धारा 144 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जैर नामान्तरकरण को पुनः प्रारम्भिक स्थिति में बहाल किये जाने हेतु निवेदन किया था, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं होने से जैर अपील प्रस्तुत की गयी है। अतः विधिविरूद्ध स्वीकृत जैर नामान्तरकरण को खारिज फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1/1 से 1/7 ने वक्त बहस कथन किया कि सहायक कलक्टर मारवाड जंक्शन द्वारा निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की कैम्प कोर्ट में सहमति के आधार पर पारित की गयी। माननीय उच्च न्यायायल जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4178/2019 में दोनों पक्षकारों को यथास्थिति को बनाये रखने के आदेश प्रदान किये है, जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय उक्त रेकर्ड को परिवर्तित नहीं कर सकती है। साथ ही वर्तमान में भी जमाबन्दी में नोट भी लगा हुआ है तथा वर्तमान में जैर आराजी के सम्बन्ध में राजस्व मण्डल अजमेर में भी वाद विचाराधीन है, जिसमें अन्तिम निर्णय पारित होना शेष है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील कतई पोषणनीय नहीं है। अतः जैर अपील को खारिज फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि सहायक कलक्टर मारवाड जंक्शन द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.10.2018 को राजस्व प्राधिकारी पाली ने अपने आदेश दिनांक 17.01.2019 के द्वारा निरस्त कर दिया तथा न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने इसे यथावत रखा है। माननीय उच्च न्यायायल जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4178/2019 में दोनों पक्षकारों को यथास्थिति को बनाये रखने के आदेश प्रदान किये है। ऐसी स्थिति में जैर अपील को खारिज फरमावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर, पाली

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल नामान्तरकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जैर अपील तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 3158 दिनांक 31.10.2018 के विरूद्ध पेश की है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वकील अपीलाण्ट के कथनों पर गौर किया गया। नामान्तरकरण से अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित होते है तथा जहां किसी व्यक्ति के हक अधिकारों का प्रश्न हो, वहां पर म्याद का बिन्दु गौण हो जाता है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। जैर नामान्तरकरण उपखण्ड अधिकारी मारवाड जंक्शन के पत्र दिनांक 29.10.2018 की पालना में प्रकरण संख्या 17/2014 घीसाराम बनाम अधिशाषी अभियन्ता जे.वि.वि.नि.लि. सोजत सिटी व अन्य में पारित निर्णय तथा तहसीलदार मारवाड जंक्शन के पत्र दिनांक 29.10.2018 की पालना में स्वीकृत किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा राजस्व अपील 96/2018 प्यारीदेवी व अन्य बनाम घीसाराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 17.01.2019 के द्वारा अपील स्वीकार की जाकर सहायक कलक्टर मारवाड जंक्शन द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.10.2018 को अपास्त कर विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया था। राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के निर्णय के विरूद्ध न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील प्रस्तुत की गयी, जिसके प्रकरण संख्या 534/2019 घीसाराम बनाम प्यारीदेवी व अन्य में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.02.2019 के द्वारा उक्त अपील एडमीशन स्तर पर ही खारिज कर दी गयी।

माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध घीसाराम द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी.सिविल. रिट याचिका संख्या 4178/2019 घीसाराम बनाम प्यारी देवी व अन्य प्रस्तुत की गयी जिसमें पारित निर्णय दिनांक 03.02.2021 के अनुसार –

Since the Appellate Authority has simply remanded the matter back to the Trial Court, in considered opinion of this Court, keeping the matter pending, when interim order of maintaining status quo has been granted, stalling the suit proceedings would not be in the interest of justice.

Having regared to the facts available and contentions raised and considering the nature of the controversy, this Court deems it appropriate to dispose of the present writ petition with the direction to the Trial Court to decide the suit expeditiously preferably within a period of one year from today.

Till then, Status quo, as it exists, shall be maintained by both the parties.

जब माननीय राज. उच्च न्यायालय न्यायालय जोधपुर द्वारा ही प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निस्तारण करने तथा यथास्थिति बनाये रखने के निर्देश पारित

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर, पाली

किये है तो ऐसी स्थिति में यह न्यायालय जैर आराजी प्रकरण में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है। लिहाजा जैर अपील खारिज योग्य है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। यह खेदजनक है कि माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय दिनांक 03.02.2021 की पालना में प्रकरण का निस्तारण आदिनांक तक नहीं किया है। अतः उपखण्ड अधिकारी मारवाड जंक्शन को निर्देशित किया जाता है कि माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 4178/2019 में पारित निर्णय दिनांक 03.02.2021 की पालना में रिमाण्ड प्रकरण का यथाशीघ्र नियमानुसार निस्तारण करे। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(हस्ताक्षर)

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 21/6/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)